# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोहन — विपक्षी : श्री भेरूलाल

किस्म मुकदमा — 212 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 76/22

जीसीएमएस : 2022/303

| कमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक : 15.05.2025<br>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की पूर्व पेशी पर एकतरफा बहस सुनी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 515 पर दर्ज आराजी नम्बर 1087 से 1093 किता 7 कुल रकबा 0.3319 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार, खाता संख्या 357 पर दर्ज आराजी नम्बर 1124, 1125, 564 किता 3 कुल रकबा 0.1296 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 से 4 के नाम हिस्सेनुसार, खाता संख्या 352 पर दर्ज आराजी नम्बर 1097, 1098, 1120, 1121, 1122, 562 किता 6 कुल रकबा 0.3966 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 5 से 11 के नाम हिस्सेनुसार, खाता संख्या 353 पर दर्ज आराजी नम्बर 1070 रकबा 0.1295 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 16 के नाम हिस्सेनुसार, खाता संख्या 507 पर दर्ज आराजी नम्बर 1130 रकबा 0.0567 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 से 4, 12, 14 के नाम हिस्सेनुसार एवं खाता संख्या 517 पर दर्ज आराजी नम्बर 561 रकबा 0.0809 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2, 3 व अन्य सहखातेदार सरसी के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद बंटवाडे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 1 से 12, 14, 16 व अन्य सहखातेदार सरसी के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। भूमि विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षीगण खुर्द बुर्द कर निर्माण करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षीगण को | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested

रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि में नया निर्माण कर लेते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि अविभाजित सम्पति में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। उभय पक्षकारान की अविभाजित सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। प्रकरण में दिनांक 13.01.2023 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगें। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 515 पर दर्ज आराजी नम्बर 1087 से 1093 किता 7 कुल रकबा 0.3319 हेक्टेयर, खाता संख्या 357 पर दर्ज आराजी नम्बर 1124, 1125, 564 किता 3 कुल रकबा 0.1296 हेक्टेयर, खाता संख्या 352 पर दर्ज आराजी नम्बर 1097, 1098, 1120, 1121, 1122, 562 किता 6 कुल रकबा 0.3966 हेक्टेयर, खाता संख्या 353 पर दर्ज आराजी नम्बर 1070 रकबा 0.1295 हेक्टेयर, खाता संख्या 507 पर दर्ज आराजी नम्बर 1130 रकबा 0.0567 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 517 पर दर्ज आराजी नम्बर 561 रकबा 0.0809 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(**रमेश सीरवी पुनाडिया** R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested